International Journal of Home Science 2022; 8(2): 16-19

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2022; 8(2): 16-19
© 2022 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 12-03-2022
Accepted: 15-04-2022

प्रियंका कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा,
बिहार, भारत

डॉ. मंजू कुमारी सिन्हा
एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वएविद्यालय
गृह विज्ञान विभाग, जे.पी.
महाविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
प्रियंका कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा,
बिहार, भारत

बालिका शिक्षा : उद्देश्य एवं महत्त्व

प्रियंका कुमारी, डॉ. मंजू कुमारी सिन्हा

सारांश

भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भले ही हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पुरा होनो को है। परंतु महिलाएँ आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, जिसकी वे अधिकारिणी हैं। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में झंडे गाड़ दिये हों, परंतु महिलाओं को आज भी घर में वह स्थान प्राप्त नहीं है जो पुरुषों को अथवा लड़कों को प्राप्त है। आज भी कई घर-परिवार ऐसे हैं जहाँ लड़कों के जन्म पर घी के दिये जलाये जाते हैं परंतु लड़कियों के जन्म पर शोक मनाया जाता है। वे लड़कियों को पराया धन मानते हैं। इसलिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक नहीं - समझते हैं। इस पाठ में बालिका शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालेंगे।

कूट शब्द: बालिका शिक्षा, पुरुष प्रधान देश, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, महिलाएँ स्वतंत्र

प्रस्तावना

प्राचीनकाल से ही यह मान्यता रही है कि स्त्रियों का हृदय काफी कोमल . होता है, अतः स्त्री जाति को माता, पत्नी और बालिका के विविध सम्बन्धों में पूज्या माना जाता रहा है।

जिन स्थानों पर स्त्रियों को सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है वहाँ पर देवताओं का अंश व बास रहता है। यह सत्य भी है। जिस स्त्री में अच्छे गुण होंगे उनके द्वारा जन्म दिये जाने वाले बालकों में भी अच्छे गुण विद्यमान होंगे जिससे वह वास्तव में देवतुल्य सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। माता चाहे तो सन्तान का निर्माण अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप कर सकती है। आज हमें प्रजातन्त्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय समृद्धि के विकास, मानवता के प्रसार, विश्व-शान्ति और चरित्रवान योग्य नागरिक की आवश्यकता है। यदि स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया तो संपूर्ण परिवार ही शिक्षित हो जायेगा तत्पश्चात् एक समाज, फिर एक देश साक्षर होगा। भारत की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने वाले, राष्ट्रीय समृद्धि में योग देने वाले, शान्ति-स्थापक योग्य नागरिक मिल सकेंगे।

इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए और स्त्री-शक्ति की सुरक्षा और विकास करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं

(1) **स्त्रीत्व को बनाये रखने की दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था करना:** कोई भी लड़की जब बड़ी हो जाती है तो स्त्री बन जाती है लज्जा उनका गहना बन जाता है। उनमें कौमार्य और विनम्रता, परन्तु निर्भीकता में सन्निहित होता है। यह सब तभी सम्भव है, जब उन्हें स्त्रियोचित कर्तव्यों से परिचित कराया जाए। भारतीय संस्कृति में बालिकाओं की स्थिति महत्त्वपूर्ण होती है।वह ही माता (जननी), पत्नी, बहन व पुत्री की भूमिका अदा करती है। उनके अपने-अपने स्थान पर क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार हैं. उन्हें समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए? आदि बातों का ज्ञान कराना आवश्यक है। सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में कभी नहीं गया। ये तो ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के कारण हमारा सम्बन्ध पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता से हो गया है, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम अपनी भारतीयता की सीमा को लाँघ जाएँ। हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं कि बालिका ज्ञान, विज्ञान, कला, तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करके कार्य न करें, ऐसा नहीं होना चाहिए उन्हें शिक्षित करने के दौर में भारत की सभी परम्पराओं एवं स्त्रियों को अपने कर्तव्यों को ताक पर रखने की आवश्यकता पड़े।

(2) **स्त्रियोचित एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना:** हमें स्त्रियों का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास करने के लिए उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्त्रियोचित खेल-कूद, व्यायाम, आसनों की व्यवस्था, विविध बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास के बगैर उन्हें शिक्षित करना संभव नहीं हो सकता है। यह आवश्यक है, कि उपर्युक्त शिक्षा का प्रबन्ध एकमात्र महिला विद्यालयों में ही सम्भव है जिनका विकास और प्रसार करना चाहिए।

(3) **बालिका को धार्मिकता, चरित्र-निर्माण और शान्ति स्थापना का स्रोत बनाना:** किसी भी बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माता ही होती है। वही धार्मिक विचारों का प्रसार करके बालकों के नैतिक व्यवहार में परिवर्तन लाती है और अशान्त वातावरण में शान्ति के बीजांकुरित करती है। वह दया की देवी होती है, क्षमा-शीलता उसका धर्म होता है; वह सहिष्णु, उदार और सहकारी होती है। इस गुण के विद्यमान होने के बाद ही उसे योग्य नागरिक की संज्ञा दी जायेगी। बालिका बालकों में इन गणों की स्थापना करती है। संसार नैतिकता में बालक का उत्थान और पतन बालिका के कारण ही हुआ करता है। शिक्षा द्वारा बालिका का धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक मार्ग-दर्शन करना आवश्यक है।

(4) **बालिका को योग्य गृहिणी, पत्नी, माता और कार्यकर्ता बनाना:** जैसा कि इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है कि माता बालक की सबसे पहली आचार्य (गुरु) होती है। वह बालक के संस्कारों को निर्धारित करती है और समुचित वातावरण, सीख, लालन-पालन और स्नेह देकर उसका सामाजिक तथा मानवीय विकास करती है। एक गृहस्थ जीवन में बालिका सिर्फ माता ही नहीं गृहिणी तथा पत्नी तीनों के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। हमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना है, कि स्त्रियाँ कुशल माता, गृहिणी, पत्नी और सहयोगी बन सकें।

(5) **बालिका वर्ग को व्यावसायिक, जीविकोपार्जन एवं कला में दक्ष बनाना:** किसी भी स्त्री का प्रमुख उद्देश्य होता है गृहिणी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना तत्पश्चात् बालिका के पास अवकाश का समय बचता है तो वह उसका सदुपयोग व्यावसायिक एवं जीविकोपार्जन के कार्यों द्वारा कर सकती है। इस प्रकार बालिका परिवार की आर्थिक स्थिति में भारी सहयोग दे सकती है। जब किसी परिवार का मुखिया नहीं रहता, तो परिवार के लालन-पोषण का भार बालिका पर ही आ जाता है। यदि वह आत्म निर्भर नहीं है तो उसके परिवार का पालन नहीं हो पाता।

इस दृष्टि से स्त्री जाति को सशक्त बनाना चाहिए और शिक्षा-क्रम में उपयोगी पाठ्यक्रम सँजोना चाहिए।

(6) **प्रजातन्त्र की सुरक्षा और गणतन्त्र में विश्वास रखने की भावना का प्रसार करना:** एक बच्चा अपने परिवार से ही अधिक से अधिक चीजें सीखता है। माता-पिता और परिवार के लोग बालक को नागरिकता की शिक्षा देते हैं। यदि बालिका गणतन्त्र में विश्वास रखती है और प्रजातन्त्र की प्रणालियों से परिचित है, तो वह अपने घर का वातावरण भी प्रजातन्त्रात्मक बना सकती हैं। ऐसे वातावरण में पलने वाले बालक प्रजातन्त्र में आस्था रखने वाले और उसमें सहयोग देने वाले बन सकेंगे। इसलिए बालिका शिक्षा-पाठ्यक्रम में पुरुषों के समान नागरिकता की शिक्षा और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की जानकारी का समावेश करना चाहिए।

(7) **बालिका को संस्कृति प्रसार का स्रोत बनाना:** आज भी कई ऐसी परम्पराएँ हैं जिसका संस्थापन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। वह उनकी रक्षक है, पोषक और प्रसारक है। वह परिवार से लेकर समाज के क्षेत्र में अपने व्यवहारों द्वारा संस्कृति का विकास करने में योग देती है। वस्त्र-विन्यास, रहन-सहन, धार्मिक प्रथाएँ, रीति-रिवाज, सामाजिक मान्यताएँ, मातृभाषा विकास, पारिवारिक शिक्षा द्वारा समाजीकरण के आदर्श प्रस्तुत करके पुरुष वर्ग का सही मार्ग-दर्शन करती है, इस प्रकार महिलाओं को शिक्षित करना काफी आवश्यक है जिससे वह उस संस्कृति का प्रसार करने का उत्तरदायित्व निर्वाह कर सकें।

आज के इस युग में बालिकाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रजातंत्र में धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से महिला शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। बालिका को पुरुष के समान कर्तव्य निर्वाह तथा अधिकारों का उपभोग करने के अवसरों तथा सुविधाओं की प्राप्ति हुई है। यदि बालिका पुरुषों के समान योग्य और शिक्षित हो तो वह अपने मतदान का सदुपयोग कर सकती है। वह परिवार, समाज, राष्ट्र और व्यक्तिगत समस्याओं पर चिन्तन करके उनके हल प्रस्तुत कर सकती है। जब सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होगा एवं उनके हितों की रक्षा भली-भांति होगी, तभी हम सही मायने में स्वतंत्रता का उपभोग कर पायेंगे। राष्ट्रीय सरकार का निर्माण जनमत के हाथ में होता है। यदि जनमत अशिक्षित होता है तो वह जातिवाद, धर्म, वर्ग, प्रदेश और सम्पर्क की संकुचित भावनाओं में बहकर मतदान में उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाता और अनुपयुक्त व्यक्ति को शासन कार्य के संचालन के लिए भेज दिया जाता है। यह बात बालिका शिक्षा पर भी लाग होती है, यदि उन्हें सही प्रकार से शिक्षित न किया जाए। कछ ही शिक्षित महिलाएँ इस सम्बन्ध में अपना स्वतन्त्र निर्णय रखती हैं, अन्यथा अधिकांश इस उत्तरदायित्व को बड़ी उदासीनता से निभाती हैं। अतः यह आवश्यकता अनुभव होती है कि बालिका शिक्षा का समुचित प्रसार किया जाये।

स्त्रियों का सर्वांगीण विकास उन्हें साक्षर करके ही किया जा सकता है। वह परिवार का सृजन और निर्माण करने वाली होती हैं। सबसे पहले नागरिकता की शिक्षा उसी के संरक्षण में मिलती है। यदि बालिका शिक्षित नहीं होगी तो वह परिवार में रहकर नागरिकता का प्रसार करने का उत्तरदायित्व न्यायपूर्वक नहीं निभा सकती। इसलिए बालिकाओं को शिक्षित करना काफी आवश्यक है क्योंकि नारी बालक की सबसे पहली और महत्त्वपूर्ण शिक्षिका होती है। यदि वह अशिक्षित हुई तो बालक का शैक्षिक तथा सामाजिक विकास उपयुक्त रूप में नहीं होता। नारी को समाज की शक्ति कहना गलत नहीं होगा। वह प्रेम, दया, त्याग की मूर्ति होती है। उसके इन गुणों के कारण वह समाज की प्रतिष्ठित शक्ति है। वह सच्चे अर्थों में सृजन की प्रेरणा है, जिसको शिक्षित करके मानवीय गुणों की अनुभूति में सहयोग पाया जा सकता है।

देश की सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा ज्ञान-विज्ञान का स्तम्भ बालिकाएँ होती हैं। उसे शिक्षित बनाकर उनकी सृजनात्मक क्रियाशीलताओं को प्रबुद्ध, शुद्ध और समुन्नत बनाया जा सकता है। यह सृजनात्मक क्रियाशीलता पुरुष का उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व और मार्गदर्शन तभी कर सकती है, जब वह सुशिक्षित हो, साधन सम्पन्न हो। इस प्रकार बालिका शिक्षा के पश्चात् ही स्त्रियों की दशा में सुधार होगा।

जब कोई स्त्री साक्षर हो जाती है तो शिक्षा का महत्व भी भली-भाँति समझने लगती है तथा माँ के रूप में वह जानती है कि वह अपने बालकों की प्रवृत्ति, रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुरूप कैसे शिक्षा दे और किस प्रकार मार्गदर्शन करे? वह जानती है कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में उसका मार्गदर्शन कैसे करे? आज के बालक कल के नागरिक होते हैं जिनका निर्माण माता के हाथ में होता है। अतः बालिका शिक्षा के विकास की महती आवश्यकता प्रतीत होती है।

निष्कर्ष

आधुनिक युग की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में भली-भांति कार्य कर सकती हैं। उनकी योग्यता को किसी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा और सेवा ऐसे क्षेत्र है जहाँ नारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक योग्य साबित हुई है। यदि बालिका को समुचित मार्गदर्शन और शिक्षा दी जाय तो व कशल व्यवसायी, समाजसेवी, राजनैतिक नेता और समाज सधारक बन सकती है। वह कशल इंजीनियर, शिक्षक, चिकित्सक, परिचायक, अधिवक्ता, कारीगर आदि बनकर राष्ट्र की समृद्धि में भारी योग दे सकती हैं। इस प्रकार बालिकाओं को साक्षर बनाने हेतु सभी प्रकार के साधन जुटाना आवश्यक होगा। तभी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति हो सकती है।

संदर्भ सूची

1. शास्त्री शंकुतला राव (1942), "वूमेन इन वैदिक ऐज" भारतीय विद्या भवन, बम्बई
2. सैन, गुप्ता पदमिनी, "पायनियर वूमेन ऑफ इण्डिया" ठक्कर एण्ड को. लि., बम्बई
3. विलिंगटन मेरी फ्रांसिस (1894), "वूमेन्स ऑफ इण्डिया" चैपमेन हाल, लन्दन
4. मजूमदार आर. सी., "ग्रेट वूमेन ऑफ इण्डिया' अदवेता आश्रम, अल्मोडा
5. दास गुप्ता, ज्योति प्रोवा (1938), "गर्ल्स एजूकेशन इन इण्डिया" कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता